



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :-115/2021

जी.सी.एम.एस. नं. 2021/278

1. राजेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

--:वादी:--

बनाम

- दिनेश के. जैन पुत्र कमल जैन
- दीपाली जैन पत्नी संदीप जैन
- मीतू जैन पत्नी दिनेश जैन
- संदीप जैन पुत्र कमल चन्द्र जैन  
समस्त जाति जैन निवासीगण मकान नम्बर 3 न 42-जवाहर नगर जयपुर।
- कल्याणी पत्नी घासीलाल
- गिराज पुत्र घासीलाल
- गीता पत्नी बंशीलाल
- छीतरमल पुत्र बिरदा
- बबूलाल पुत्र रामेश्वर
- रामदयाल पुत्र रामेश्वर  
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासीगण ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
- उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

--:प्रतिवादीगण:--

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सुरेश शर्मा, एड0 वादी  
श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9  
श्री कमल किशोर शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 व 3

पुर्वा डिक्री

दिनांक 20/11/2024

प्रार्थना पुत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 7 आदेश 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को न्यायाहित में स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 564, 561, 557, 558, 560, 567 वाके ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वाद कारण के अभाव में बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जिला जयपुर